महत्वपूर्ण एवं खास

गांधी शांति पुरस्कार हेतु प्रस्ताव 10 अप्रैल तक

रायगढ़। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 हेतु योग्य एवं पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं से 10 अप्रैल तक नामांकन प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए नई दिल्ली के वेबसाईट में प्राप्त कर सकते है।

टीईटी परीक्षा 10 मार्च को

रायगढ़। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता (टीईटी-19) परीक्षा का आयोजन 10 मार्च 2019 रविवार को दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। कलेक्टर यशवंत कुमार ने परीक्षा के सफल संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर दीपक कुमार निकुंज को नोडल अधिकारी एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सहायक परियोजना समन्वयक रामकुमार चौहान को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

4 थाना व 4 चौकियों के प्रभारी बदले गये

10 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश जारी

रायगढ़। 27 फरवरी को पुलिस अधीक्षक रायगढ़ राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से 04 थाना व 04 चौकियों के प्रभारी सहित 10 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश आज दिनांक 27.02.19 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार (1) थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक अभिनवकांत सिंह अब थाना प्रभारी घरघोड़ा (2) थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक सुमत राम साहू अब थाना प्रभारी खरसिया (3) रक्षित केन्द्र में पदस्थ निरीक्षक आशीष वासनिक अब थाना प्रभारी सरिया (4) रक्षित केन्द्र में पदस्थ निरीक्षक जगतराम चौहान अब थाना प्रभारी कोसीर (5) चौकी प्रभारी कनकबीरा उनि ललनसिंह अब चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द (6) रक्षित केन्द्र में पदस्थ उनि रविचन्द्र साय पैंकरा अब चौकी प्रभारी कनकबीरा (7) पुसौर में पदस्थ उनि एस.बी. सिंह परिहार अब चौकी प्रभारी खरसिया (8) चौकी प्रभारी खरसिया मनोरमा कुर्रे अब रक्षित केन्द्र (9) थाना प्रभारी घरघोड़ा उनि धनीराम राठौर अब थाना धरमजयगढ़ (10) थाना कोतवाली में पदस्थ संतोष यादव अब चौकी प्रभारी जोबी होंगे।

बिना अनुमति नलकूप खनन कराने वाले व्यक्ति अथवा एजेंसी के खिलाफ होगी कार्यवाही

1 मार्च से 31 जुलाई तक रायगढ़ जिला जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी यशंवत कुमार ने आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 1 मार्च 2019 से 31 जुलाई 2019 तक रायगढ़ जिले को जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उक्त अवधि में जिले में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करते पाए जाते है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पीएसीएल के निवेशकों के लिए बनी टीम, जनपदों में भी आवेदन

रायगढ़। पीएसीएल में लुटे निवेशकों के लिए जिले में टीम बनाई गई है। चीफ सेक्रेटरी के निर्देश के बाद अब प्रशासन ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है और बुधवार को इस संबंध में बैठक कर जनपदों में भी निवेशकों के लिए सुविधा केन्द्र बनाने और 1 मार्च से 30 अप्रैल आनलाईन आवेदन जमा करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को कलेक्टोरेट में डिप्टी कलेक्टर दीपक निकुंज की अध्यक्षता में पीएसीएल के निवेशकों के संबंध में बैठक ली गई है। बैठक का उद्देश्य था कि सेबी द्वारा किए जा रहे रिफंड में निवेशकों को आगे लाना और अपनी डूबी रकम वापस दिलाने के लिए सेबी के वेबसाइड में ऑनलाइन आवेदन करना। इसके लिए जिले के सभी विकासखण्डों के प्रोगामरों को बुलाया गया था। जिले में जो टीम बनी है, उसमें डिप्टी कलेक्टर के अलावा कोषालय अधिकारी व जिला अल्प बचत अधिकारी, एनआईसी तथा चिप्स के प्रभारी को भी शामिल किया गया है। प्रशिक्षण में प्रोग्रामरों को बताया गया कि सभी जनपद पंचायत स्तर पर निवेशकों से अनलाईन आवेदन फार्म भरवाने के लिए निशुल्क सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है जिसका नाम पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों हेतु सुविधा केन्द्र होगा। इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक प्रोग्रामर की भी ड्यूटी लगाई गई है। निवेशक को आवेदन जमा करते समय कंपनी का सर्टिफिकेट, पैसा जमा की रसीद और पेन कार्ड, मोबाइल नंबर और अपना बैंक खाता देना होगा जिसके बाद प्रोग्रामर संबंधित आवेदन भरेंगे। इसके लिए जिले में पीएसीएल के निवेशक अपनी राशि वापसी कराने आवेदन जमा कर सकते हैं।

चोरी की वारदातों से सहमा विभाग, बैंकों में सुरक्षा का लिए जायजा

रायगढ़। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल में टूटते तारे के कारण पुलिस विभाग के लिये सिरदर्द बनकर रह गई थी। इससे पुलिस महकमे में खलबली मचकर रख दिया है। जिसमें जिले में संचालित बैंकों के सुरक्षा-व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुये पुलिस कप्तान राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को उनके क्षेत्र के सभी राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंको की चेकिंग करने का निर्देश दिया गया था।

इसी क्रम में मंगलवार को जिले थाना चौकी प्रभारियों द्वारा अपने क्षेत्र के बैंको में आकस्मिक दबिश देकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। थाना प्रभारीगण बैंक प्रबंधक से मिलकर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पूछताछ किया गया। चेकिंग दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक के सीसीटीवी कैमरों और अन्य सुरक्षा इंतजाम की जांच की गई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों को बैंकों में सीसीटीवी कैमरा चालू स्थिति में रखने, अलार्म, रात-दिन सुरक्षा गार्ड तैनात करने तथा एटीएम की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बैंक प्रबंधकों को आर.बी.आई. की गाइड लाईन के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक में कैश आवागमन के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेकर बैंक के बाहर व आसपास चेक किया गया, इस दौरान मिले संदिग्धों से पूछताछ कर उन्हें हिदायत दिया गया कि अनावश्यक बैंक के आसपास इकट्ठे न रहे।

पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 17 को

रायगढ़। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा का आयोजन 17 मार्च को आयोजित की जाएगी। कलेक्टर यशवंत कुमार ने परीक्षा के सफल संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर दीपक निकुंज को नोडल अधिकारी एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सहायक परियोजना समन्वयक रामकुमार चौहान को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

खरसिया की 6 फर्मों पर आयकर का छापा करोड़ों की कर चोरी का मामला

रायगढ़। आयकर विभाग ने आज खरसिया की 6 फर्मो पर छापा मारा जिसमें चार ज्वेलर्स व दो कपड़ा व्यवसायी हैं जिन फर्मो पर छापा पड़ा उनमें श्याम ज्वेलर्स संदेश ज्वेलर्स अनुराधा ज्वेलर्स व दादू ज्वेलर्स के अलावा तारा व प्रेमचंद विजयकुमार कपड़ा व्यवसायी शामिल हैं छापा दोपहर एक बजे मारा गया जिसमें लगभग 25 अधिकारियों की टीम जांच में जुटी हैं जिसका नेतृत्व रायगढ़ आयकर वार्ड क्रमांक एक जितेंद्र कुमार सिंग कर रहे हैं छापे में बिलासपुर कोरबा व चांपा से भी अधिकारियों को बुलवाया गया हैं यह कार्यवाही कल तक चलने की संभावना हैं जिसमें करोड़ो रुपये की अघोषित आय सामने आ सकती हैं विदित हैं की इसके पहले भी रायगढ़ की कई बड़ी ज्वेलर्स फर्मों को आयकर ने टारगेट किया था लगातार हो रही इस छापा मार कार्यवाही से व्यापारियों में दहशत का माहौल हैं बताया जा रहा हैं की आज जिन छै फर्मो पर कार्यवाही की गयी हैं वे बड़े पैमाने पर आयकर की चोरी में संलिप्त थी जिसकी जानकारी मिलते ही आयकर अधिकारियों ने छापा मार कार्यवाही को अंजाम दिया।

न्यायालय तहसीलदार रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)

- : ईश्तहार :-

रा.प्र.क्र. /अ-6/2018-19
ग्राम-भगवानपुर तह. व जिला रायगढ़

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राम अवतार पटेल पिता खुशीराम पटेल वगैरह निवासी ग्राम भगवानपुर जिला रायगढ़ द्वारा संहिता की धारा 109-110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया गया है कि आवेदकगण के पिता खुशीराम पटेल के नाम पर ग्राम भगवानपुर तहसील व जिला रायगढ़ में भूमि कुल खसरा नंबर 10 कुल रकबा 0.436 हे. राजस्व अभिलेखों में स्थित है। यह कि आवेदकगण के पिता खुशीराम की मृत्यु दिनांक 21.06.2018 को हो चुकी है तथा मृतक की पुत्री अनावेदिका क्रमांक 01 श्रीमती अहिल्या चौधरी पति नीलमणी चौधरी उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज नहीं कराना चाहती है। अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदित भूमि के राजस्व अभिलेखों से स्व. खुशीराम पटेल का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर आवेदकगण का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत आवेदन पर इस न्यायालय में दिनांक 13/3/19 को सुनवाई नियत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत दिनांक तक दावा/आपित्त इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात् दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 28-02-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी।

सील

तहसीलदार
रायगढ़

निर्वाचन कार्य के लिए 5 लोगों की भृत्य पद पर अस्थायी नियुक्ति

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी निर्वाचन कार्य विभाग रायपुर के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत रायगढ़ जिले के निर्वाचन कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के लिए अस्थायी रूप से 5 लोगों की कलेक्टर दर पर भृत्य की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति 31 जुलाई 2019 तक के लिए स्वीकृत है। उक्त तिथि के बाद यह नियुक्ति स्वतः समाप्त कर दी जाएगी और सेवा समाप्ति के लिए कोई आदेश पृथक से जारी नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन लोगों की भृत्य के पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें ग्राम-बालमगोड़ा के वीरूराज सिदार को कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ में पदस्थ किया गया है। इसी तरह ग्राम-झाबड़ के छबिलाल सिदार को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सारंगढ़, ग्राम-भोजपाली के लक्ष्मी किसान को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़, ग्राम-लखनपुर की कु.चित्रलेखा को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लैलूंगा एवं ग्राम-अलीपुर की संध्या सिंह की कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धरमजयगढ़ में पदस्थ किया गया है।

टीएल बैठक 5 मार्च को

रायगढ़। कलेक्टर शवंत कुमार की अध्यक्षता में 4 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण आयोजित होने वाले साप्ताहिक समय सीमा (टीएल) बैठक अब 5 मार्च को प्रातः 10.30 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आहूत की गई है।

चपले में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर स्थगित

रायगढ़। जनपद पंचायत खरसिया के ग्राम-चपले में 2 मार्च को आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।

चोटीगुड़ा जंगल की अवैध कटाई मामले में डिप्टी रेंजर व बीट गार्ड हुआ सस्पेंड

रायगढ़। घरघोड़ा के चोटीगुड़ा जंगल में हुयी पेड़ो की अवैध कटाई के मामले में डी.एफ.ओ. ने डिप्टी रेंजर व बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया हैं इस संबध में बताया जाता हैं की इस जंगल में जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिये पेड़ो की अवैध कटाई की गयी थी जिसकी जानकारी विभाग को मिलते ही डीएफओ ने तेंदुपत्ता प्रबंध संचालक आर के सिसोदिया को तत्काल जांच का आदेश दिया जिसके बाद जांच अधिकारी ने मौके का निरीक्षण करते हुए डिप्टी रेंजर, बीटगार्ड व अन्य का बयान लेकर जांच शुरू की और जांच रिपोर्ट तैयार कर डीएफओ मनोज पांडे को सौंपी।

डीएफओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुये डिप्टी रेंजर मिलन भगत व बीटगार्ड छत्रपाल राठिया को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि मामले में अब आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480